राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

बनाम

राम कृष्णव्यास

4 मई 1999

[एस.एस.एस. मोहम्मद कादरी और एस.एन. फुकन, न्यायाधीशगण]

सेवा विधि

उदयपुर विश्वविद्यालय (सुखादिया विश्वविद्यालय) कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान नियम, 1979 – ग्रेच्युटी की गणना – ग्रेच्युटी की गणना के लिए मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और तदर्थ महंगाई भत्ता सहित विश्वविद्यालय के नियम–विश्वविद्यालय ने ग्रेच्युटी की गणना के लिये प्रत्युत्तरदाता को मंहगाई भत्ता का लाभ देने से इन्कार किया – राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वेतनमान में संशोधन और ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि–क्या, यह राज्य सिविल सेवा नियमों को अपनाने के समान है–अवधारित–नहीं–उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित कि सरकारी कर्मचारियों के नियम विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर लागू नहीं होगें–पुष्ट–राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन मान) नियम 1987

अभ्यास एवं प्रक्रिया

अपीलकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के साथ दस्तावेज दाखिल करना, न तो एसएलपी के साथ दाखिल किया गया और न ही मौखिक रूप से तर्क दिया गया–अवधारित– इस बिंदु पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रत्युत्तरदाता, जो अपीलकर्ता विश्वविद्यालय का कर्मचारी था, 1992 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। चूंकि उसकी अंतरिम पेंशन बाद में कम कर दी गई थी, इसलिए प्रत्युत्तरदाता ने वास्तविक अंतिम आहरित वेतन, मंहगाई भत्ता व तदर्थ महंगाई भत्ता के आधार पर अपीलकर्ता को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति देय को अंतिम रूप देने का निर्देश देने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्रत्युत्तरदाता ने तर्क दिया कि ग्रेच्युटी की गणना महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते सहित अंतिम आहरित वेतन पर गणना करने के बजाय केवल मूल वेतन पर की गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अंतरिम पेंशन प्रत्युत्तरदाता द्वारा दिए गए वचन के आधार पर दी गई थी कि अतिरिक्त लाभ, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नियमों में संशोधन किया गया है और चूंकि सरकारी नियम ग्रेच्युटी के भुगतान के उद्देश्य से परिलब्धियों को मूल वेतन के रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए महंगाई भत्ते पर ग्रेच्युटी के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के संबंध में नियम विश्वविद्यालय के तहत काम करने वाले कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे और

इसलिए, ग्रेच्युटी की गणना करते समय मूल वेतन के साथ–साथ महंगाई भत्ते की राशि को भी विचार में लिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की रिट अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील पर, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के प्रबंधन बोर्ड ने संकल्प संख्या 31 दिनांक 12/5/1988 द्वारा जिसे औपचारिक रूप से 16/6/1988 को अधिसूचित किया गया था, ने राजस्थान सरकार की कर्मचारियों को अधिसूचना के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान में वृद्धि को अपनाया थ◌ा आ◌ैर प्रत्युत्तरदाता ग्रेच्युटी देने के उद्देश्य से कुल परिलब्धियों (वेतन) की गणना करते समय महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते का लाभ पाने का हकदार नहीं है और जैसा कि एक आदेश दिनांक 5/3/1987 द्वारा अपीलकर्ता के वेतनमान को राजस्थान सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1987 के संदर्भ में संशोधित किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा नियम अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। अपीलकर्ता ने दिनांक 4/12/1987 को लिखित आवेदन में एक संकल्प दायर किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य सरकार सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 जो दिनांक–01–01–1986 से प्रभावी है तथा समय–समय पर संशोधित किये गये ग्रेच्युटी भुगतान के नियम विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किया जायेगा जब तक कि अलग सेवा नियम न बना लिया जाए।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय का

निर्णय: 1. उच्च न्यायालय ने सही माना कि विश्वविद्यालय के नियमों के तहत ग्रेच्युटी के उद्देश्य से प्रत्युत्तरदाता की कुल परिलब्धियों (वेतन) की गणना करते समय न केवल मूल वेतन बल्कि महंगाई भत्ता और तदर्थ महंगाई भत्ते को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। [997–ए–बी]

2. यद्यपि अपीलकर्ता के आदेश दिनांक 16.6.1988 के साथ राजस्थान सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 की एक प्रति भी शामिल किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त आदेश से उदयपुर विश्वविद्यालय (सुखादिया विश्वविद्यालय) कर्मचारियों की ग्रेच्युटी नियम 1979 जैसा कि अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया था, को अन्य प्रावधानों के संबंध में भी संशोधित किया गया था। उस आदेश से केवल ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई थी। [995–एफ–जी]

3. प्रबंधन बोर्ड ने अपने संकल्प और आदेश दिनांक 05/03/1987 द्वारा केवल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1987 को पूरी तरह से नहीं अपनाया।

4. अपीलकर्ता द्वारा लिखित तर्कों में जिस बिंदु पर आग्रह किया गया था, उस पर न तो मौखिक तर्क के समय आग्रह किया गया था और न ही विशेष अनुमति याचिका में आधार के रूप में लिया गया था। इसलिए दिनांक 4/12/1987 के संकल्प के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि इसमें प्रत्युत्तरदाता के निहित

अधिकार को छीनने का प्रस्ताव किया गया था जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। [996–जी–एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2612/1996.

एस.ए. संख्या 572/ 1995 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.9.95 से।

अपीलीकर्ता के लिए अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ए.पी. धमीजा, शुशिल कुमार जैन,ए. मिश्रा, प्रदीप अग्रवाल और उमेश बोहरे।

प्रत्युत्तरदाताआें के लिए ए.पी. मेध के लिए पल्लव शिशोदिया।

"न्यायालय का निर्णय सुनाया गया"

जस्टिस एस.एन. फुकन, यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ के आदेश के खिलाफ योजित किया गया है जो दिनांक 12.09.95 को विशेष अपील संख्या 572/1995 में पारित हुआ। आक्षेपित निर्णय द्वारा डिवीजन बेंच ने वर्तमान अपीलकर्ता अर्थात राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 द्वारा गठित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज कर दिया। प्रारंभ में एक अधिनियम द्वारा उदयपुर विश्वविद्यालय का गठन किया गया था जिसका नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया गया था। बाद में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को विभाजित कर दिया गया और वर्तमान अपीलकर्ता विश्वविद्यालय की स्थापना विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई।

यहां प्रत्युत्तरदाता, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी था और 9 दिसंबर, 1992 को पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। उसे अंतरिम पेंशन प्रदान किया गया जो बाद में कम कर दिया गया। प्रत्युत्तरदाता की एक आैर शिकायत यह थी कि प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी की गणना महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते सहित अंतिम आहरित वेतन पर गणना करने के बजाय केवल मूल वेतन पर की गई थी। इसलिए, प्रत्युत्तरदाता का प्रार्थना की कि अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय को वास्तविक अंतिम वेतन, महंगाई और तदर्थ महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति देय जैसे लाभों को अंतिम रूप देने के लिए एक उचित रिट/निर्देश जारी किया जाए।

वर्तमान अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाब में सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख पर विवाद किया गया था और अपीलकर्ता के अनुसार, प्रत्युत्तरदाता वास्तव में 30 नवंबर, 1992 को सेवानिवृत्त हुआ था। अंतरिम पेंशन के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि अंतरिम पेंशन प्रत्युत्तरदाता द्वारा दिए गए वचन के आधार पर दी गई थी कि अतिरिक्त लाभ, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा। यह भी आग्रह किया गया कि अंतरिम पेंशन देय राशि से अधिक पाई गई।

विश्वविद्यालय के नियमों के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी गई थी कि नियमों में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संशोधन किया गया है और जैसा कि सरकारी नियम भुगतान के उद्देश्य से परिलब्धियों को मूल वेतन के रूप में परिभाषित करते हैं। ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ते पर ग्रेच्युटी के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती। कई अन्य दलीलें दी गई थीं और इस स्तर पर बताना आवश्यक नहीं है और यदि आवश्यक हुआ तो हम उन आपत्तियों के साथ उचित स्थिति पर चर्चा करेंगे।

रिट याचिका संख्या 3242/1993 में दिनांक 09/03/1995 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश का अन्य बातों के साथ–साथ विचार था कि सरकारी कर्मचारी के संबंध में मूल वेतन की गणना के संबंध में नियम विश्वविद्यालय के अधीन काम करने वाले कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होंगे। प्रत्युत्तरदाता जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी था, की ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय के नियमों को ध्यान में रखना होगा। निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रत्युत्तरदाता की ग्रेच्युटी निकालते समय मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि की भी गणना की जाए।

व्यथित होकर खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई जिसे ऊपर बताए अनुसार खारिज कर दिया गया।

हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अल्ताफ अहमद और प्रत्युत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री पल्लव शिशोदिया को सुना। बहस खत्म होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गईं।

हमारे समक्ष उठाए गए तर्कों का विश्लेषण करने के लिए, हम नियमों आदि के प्रासंगिक अंशों को नीचे उद्धृत कर सकते हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय (सुखादिया विश्वविद्यालय) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान नियम, 1979 के नियम 11 के नोट 1 और 2 इस प्रकार हैं: –

> "**1.** 31/3/1986 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी के मामले में, इन नियमों के तहत जहां भी **परिलब्धियों (वेतन)** आती हैं, उसका मतलब उन परिलब्धियों से होगा जो वह सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या सेवा से मृत्यु पर प्राप्त कर रहा था और इसमें निम्नलिखित गणना क े उद्देश्य से शामिल हैं:–
>
> **अ–** आर.एस.आर. के नियम 7(24) में परिभाषित वेतन
> **ब–** महंगाई भत्ते की राशि, और
> **स–** समय–समय पर संशोधित तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि।
>
> **2.** दिनांक–31/03/1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए 'परिलब्धियां' शब्द जहां कहीं भी आता है, उसका मतलब उन परिलब्धियों से है जो एक कर्मचारी

सेवानिवृत या विस्तार के उपरान्त सेवानिवृत या समाप्ति या मृत्यु पर विश्वविद्यालय सेवा से अपनी रिहाई की तारीख से तुरंत पहले प्राप्त कर रहा था और निम्नलिखित को शामिल करता है:–

a– समयमान में मूल वेतन;

b– वैयक्तिक वेतन जो मूल वेतन की हानि के बदले में दिया जाता है;

c– किसी पद से जुड़ा विशेष वेतन; और

d– महंगाई वेतन, यदि कोई हो।"

हम रिट याचिका का अनुलग्नक–सी निकालते हैं:–

"20 मई, 1980 को प्रातः 11/30 बजे कृषि विज्ञान केंद्र पछावल फार्म, बीकानेर में आयोजित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबंधन बोर्ड की चौथी बैठक का कार्यवृत्त। xxxx

xxx xxx xxxxx

RAJAU/BOM–4/88–2/47

सुखादिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के परिनियमों को RAJAU के लिए तब तक अपनाने पर विचार किया जाएगा जब तक सुखादिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के नए परिनियमों को न अपना लिया जाए जब तक RAJAU के लिए परिनियम नहीं बन जाते और....."

हम रिट याचिका का अनुलग्नक–बी निकालते हैं:–

"सूखदिया विश्वविद्यालय: उदयपुर संख्या F/Rules/ PPS–87/ 87–II /430 दिनांकित 5.3.87।"

<u>आदेश</u>

प्रबंधन बोर्ड के संकल्प संख्या 15 दिनांक 21/2/87 के अनुसरण में, कुलपति राजस्थान राजपत्र विशेष बुलेटिन भाग IV उप–विभाग 1 दिनांक 2/2/87 में प्रकाशित राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 1987 के अनुसार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमान को संशोधित करने में प्रसन्न हैं । ये संशोधित वेतनमान 1.9.86 से कर्मचारियों पर लागू होंगे। संशोधित वेतनमान यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।....."

हम रिट याचिका से अनुबंध–ए निकालते हैं:

"वित्त (9 जी.आर.2) विभाग अधिसूचना: संख्या FI(68) FD(Gr.2)/86 जयपुर दिनांक 2.2.87 विषय: राजस्थान सेवा नियम।"

..... इन नियमों को राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 1987 कहा जा सकता है।

वे दिनांक 1.9.86 से प्रवृत्त माने जायेंगे–

उक्त नियमों में–

7(24).वेतन का तात्पर्य सरकारी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से निकाली जाने वाली राशि से है –
(i) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए वेतन के अलावा अन्य वेतन, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में रखे गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है, या जिसके लिए वह कैडर में अपनी स्थिति के कारण हकदार है, और
(ii) विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन, और
(iii) कोई अन्य परिलब्धियाँ जिन्हें राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।"

हम रिट याचिका से अनुबंध–जी निकालते हैं:

"राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय: बीकानेर। No.FII(3)/RAJAU/C/88/ 31139– 78 दिनांक 16.06.88

कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी ग्रेच्युटी का भुगतान नियम, 1970

वित्त समिति के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.05.88 के अनुसरण में जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक–20–05–1988 को विधिवत अनुमोदित किया गया, कुलपति यह आदेश देते हुए प्रसन्न हैं कि राजस्थान सरकार वित्त (ग्रेड 2) विभाग अधिसूचना संख्या एफ.1 (29) एफडी (जीआर.2)87–1 दिनांक 20.10.87 द्वारा, मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा जो 50,000 से 75,000 रुपये निश्चित की गयी है, को उपरोक्त आदेश के अनुसार दिनांक–01–09–1986 से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लागू किये जा सकते हैं।

ऊपर दिए गए नियमों और संकल्प आदि की स्थिति के संबंध में बार में कोई विवाद नहीं है।

वर्तमान अपील में निर्णय लिया जाने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(24) में परिभाषित वेतन के अलावा ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए प्रत्युत्तरदाता की कुल परिलब्धियों की गणना करते समय, महंगाई भत्ता और तदर्थ महंगाई भत्ता की गणना की जाएगी, जो प्रत्युत्तरदाता सेवानिवृत्ति के समय निकाल रहा था, उसे जोड़ना होगा या नहीं?

विश्वविद्यालय एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार है, इसलिए उसे एक अलग कानूनी इकाई मिली है और सरकार द्वारा बनाए गए नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से नहीं अपनाया जाता है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।

अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मई, 1980 के संकल्प से हम पाते हैं कि अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय की विधियों को अपनाया, इसलिए उदयपुर विश्वविद्यालय (सुखाड़िया विश्वविद्यालय) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नियम 1979 अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। चूँकि प्रत्युत्तरदाता 31.3.1986 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, नियम 11 का नोट (1) लागू है। इसलिए, ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना करते समय उक्त नोट (।) के तीन खंड अर्थात्: (ए), (बी) और (सी) को लागू करना होगा। इस प्रकार, प्रत्युत्तरदाता की ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए कुल परिलब्धियों में (1) राजस्थान सेवा नियम 7(24) के अनुसार परिभाषित वेतन, (2) महंगाई भत्ते की राशि और (3) समय–समय पर संशोधित तदर्थ महंगाई भत्ते की राशि, शामिल होंगी।

अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मि. अहमद के अनुसार, अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने संकल्प संख्या 31 दिनांक 12.5.1988 द्वारा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान में वृद्धि को अपनाया था और प्रत्युत्तरदाता ग्रेच्युटी देने के प्रयोजन के लिए कुल परिलब्धियों की गणना करते समय महंगाई भत्ते और तदर्थ महंगाई भत्ते का लाभ पाने का हकदार नहीं है। इस संकल्प को जो ऊपर निकाला गया था को औपचारिक रूप से दिनांक 16.6.88 के आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया था

उपरोक्त आदेश दिनांक 16.6.88 के आधार पर हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दिनांक 01.09.1986 को केवल ग्रेच्युटी की राशि की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गयी थी।

यद्यपि अपीलार्थी–विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 16.6.88 के साथ राजस्थान सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 की प्रति भी निकाली गई थी, परंतु बिना किसी कल्पना के तनाव के यह कहा जा

सकता है कि उपरोक्त आदेश द्वारा उदयपुर विश्वविद्यालय (सुखाड़िया विश्वविद्यालय) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान नियम, 1979 अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए अन्य प्रावधानों के संबंध में भी संशोधित किया गया था। उस आदेश द्वारा सिर्फ ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई गई थी।

मि. अहमद ने आगे तर्क दिया है कि चूंकि अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के वेतनमान को राजस्थान सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 1987 के अनुसार दिनांक 05/03/1987 के एक आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, अपीलकर्ता–विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम लागू होंगे।

उपरोक्त आदेश दिनांक 05.03.87 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंधन बोर्ड ने दिनांक 21.02.1987 के संकल्प द्वारा केवल विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1987 को पूरी तरह नहीं अपनाया।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, मौखिक बहस के निष्कर्ष के बाद दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गईं। लिखित प्रस्तुतियों के साथ व्याख्यात्मक नोट और प्रबंधन बोर्ड का संकल्प दिनांक 4/12/87 संलग्न किया गया है। प्रबंधन बोर्ड के इस संकल्प द्वारा बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य सरकार सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 जो दिनांक–01–01–1986 से प्रभावी है तथा समय–समय पर संशोधित किये गये ग्रेच्युटी भुगतान के नियम विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किया जायेगा जब तक कि अलग सेवा नियम न बना लिया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जायेगा।

हम बोर्ड को प्रस्तुत व्याख्यात्मक नोट से एक पैराग्राफ नीचे उद्धृत कर रहे हैं–

> "राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 1/9/86 से प्रभावी संशोधित वेतनमान, 1987 को अपनाया है और संशोधित ग्रेच्युटी नियमों को भी अपनाया है जिसमें संशोधन दिनांक 16/6/88 के तहत 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और ग्रेच्युटी का भुगतान भी संशोधित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। लेकिन एक सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री. आर.के. ब्यास लैब असिस्टेंट ने इन नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9.3.95 में माना कि आर.ए.यू. ने एम.एल.एस विश्वविद्यालय, उदयपुर ग्रेच्युटी नियम–70 के प्रतिस्थापन में अपनी इकाई में जीओआर ग्रेच्युटी नियम नहीं अपनाए हैं।इसे देखते हुए, ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए गणना एम.एल.एस. विश्वविद्यालय ग्रेच्युटी के नियम 11 में निहित नोट्स द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इस प्रकार ग्रेच्युटी की गणना वेतन+ महंगाई भत्ता+ तदर्थ महंगाई भत्ता के आधार पर की जाएगी।"

लिखित तर्क में कहा गया है कि बोर्ड के उपरोक्त प्रस्ताव के मद्देनजर, प्रत्युत्तरदाता दावा की

गई राहत पाने का हकदार नहीं है। इस बिंदु पर न तो बहस के समय हमारे सामने उठाया गया था और न ही विशेष अनुमति याचिका में इसे आधार के रूप में लिया गया था। इसलिए, हम संकल्प के प्रभाव पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह प्रत्युत्तरदाता के निहित अधिकार को छीनने का प्रस्ताव था जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही माना कि विश्वविद्यालय के नियमों के तहत ग्रेच्युटी के उद्देश्य से प्रत्युत्तरदाता की कुल परिलब्धियों की गणना करते समय न केवल मूल वेतन बल्कि महंगाई भत्ता और तदर्थ महंगाई भत्ता भी विचार में लेना चाहिए।

वर्तमान अपील बलहीन है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज।

Vetted By

Ashish Kumar Rai

C.J.M. Basti.